विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1981-82

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक :

निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 4236
Date 22/5/88

REVIEW

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1981-82.

The second year of the 6th Five year plan saw the achievement of targets in respect of additional enrolment, opening of new schools, upgrading of existing institutions, continuance of programmes aimed at improving attendance figures & qualitative improvements and initiation of curricular reform projects.

Primary education (classes I to V for children in the age-group 6-11) continued to be free and cumpulsory and education is also free in classes VI-VIII in Govt. schools. With an additional enrolment of 110264 during the year the number of children attending the schools reached 2006498 (Pre.-Primary Schools 1235, Pry. Schools 608558, Middle Schools 311372, High Schools 973973, Hr. Sec. Schools 111360).

53 New primary schools were established, 210 primary schools were upgraded to Middle and 124 Middle Schools were upgraded to High Standard thus increasing the number of institutions to 7495 (Pre. Pry. 27, Pry. 4949, Middle 947, High 1474, Hr. Sec. 107).

The enrolment ratio in respect of boys in various age gorups was 102.05% in 6-11, 70.71% in 11-14 and 28.14% in 14-17 as compared with 57.40%, 28.06% and 9.56% respectively for girls. This percentage was slightly less in case of children belonging to scheduled castes.

Acknowledging the need for universal elementary education various measures which include no detention Policy in classes I to II, mass enrolment drive, conversion of single teacher primary schools to two teachers schools and accelerating the coverage under incentive programmes, were under taken. Free uniforms and attendance scholarships were given to harijan girls in classes I-V at a cost of Rs. 55.87 lakhs. In addition, children belonging to weaker sactions of the society are given a grant of Rs. 5/- per child for purchase of stationery and writing materials. Rs 5.00 lakhs were spent on this scheme. Book Bank, which exists in each Govt. Primary/Middle/High/Higher Secondary School provides

free textbooks to the needy children. During the years. 220.50 lakhs were spent on strengthing them. The rates of fees realised from girls are less as compared with those of boys. Midl-day meals have been arranged in Primary schools of rural areas in 117 educational blocks to benefit children.

The Department administers a number of scholarship programmes with a view to equalising educational opportunilties. 8578 Merit-cum means scholarships involving an expenditurre of Rs. 12.18 lakhs were awarded. Haryana domiciled studlents studying in Sainik Schools were given scholarships and clothing allowance. This costs the Department Rs. 17.86 lakhs The scheduled castes and backward classes students study in classes 9-11 are given stipends and a sum of Rs. 73.39 lakhs was arranged for the purpose, Sixty merit scholarships in each class from IX to XI were awarded to harijan girls. An expenditurre of Rs 2.73 lakhs was incurred on the award of five merit scholarships in each block for students at middle stage.

Besides, extension in educational facilities, qualitative aspect of education was also taken care of. Our State is known for its in service training programmes which are organised on a massive scale. During the year 2500 JBT teachers, 461 Heads of Middle schools and 245 Heads of High/Hr. Sec. Schools were given reorientation Schools complexes and Prathmik Adhyapak (a magazine published by SCERT and distributed free to Primary school teachers) serve as correspondance cum-contact, courses meant for professional growth of teachers. Educational Technology Cell has been established in SCERT to bring about qualitative improvement and wider access to education through an integrated use of instructional technology including mass media.

Harijan students (classes 9-11) are given special coaching in the Subjects of English, Mathematics and Science for three months. Socialy useful productive work has been introduced to inculcate dignity of labour in children.

To increase the attracting and holding power of primary schools, a sum of Rs. 3.00 lakhs was given to 1000 primary schools for the purchase of sports and recreation material.

children of the age group 9-14 who had either dropped out or were non starters. Out of those 23343 were scheduled castes children. Rs. 49.73 lakhs were spent on this programme during 1981-82.

3441 adult education centres were in position out of which 1894 were for women only. The number of beneficiaries was 76329 (Men 34934, Women 41395) out of which 20456 (men 9571 women 10385) belonged to scheduled castes. Rs. 69.27 lakhs were spent on this programme. Sharmik Vidyapeeth has been set up at Faridabad for the benefit of industrial works.

The National population Education Programme is being implemented in the State to create in younger generation an adequate awareness of population problems and realisation in this regard of responsibilities towards the nation. State population Education Cell in SCERT Gurgaon is functioning of this.

Red cross organisation plays an important role in helping the patients, handicapped, injured and the poor. During the year 1981-82 the membership rose to 1502205 (boys 1036304, girls 465901) 21 craft centres are being run by this organisation to train the women and children belonging to economically weaker sections. Junior Red Cross Fund helped the poor and needy students by way of free uniforms, fees and books etc.

Bharat Scouts and Guides movement in schools inculcates in children the spirit fellow feeling, brotherhood and service towards humanity in addition to providing training for leadership. This organisation organised 34 camps in which 2486 members participated. A grant of Rs. 2.32 lakhs was provided to this organisation during 1981-82.

Rs. 4.03 lakhs were spent out of teachers welfare fund with the object of promoting welfare of teachers generally and providing relief to teachers and their dependents in indigent circumstances.

Sahitya Akademi has been working for propularising writers and language literature. It also sets guide lines and policies for the preparation of university level Hindi books.

Sh. Des Raj was the Education Minister and Smt. Shanti Rathi was the Minister of State for Education in the year 1981-82. Sh. L. C. Gupta, IAS, Sh. S. P. Bhatia, IAS and Sh. S. P. Mittal, IAS, worked as Education Commissioner, Joint Secretary and Director of School Education respectively.

National Integration

If education has to become a powerful instrument of social, economic and cultural change then it must be developed so as to increase productivity and achieve social and national integration, Comprehensive measures have been taken by the educationists to achieve the above mentioned and cherished goals.

In persuance of the recommendations of National Integration Council and the Minorities Commission the National Conncil of Educational Research and Training, Delhi took up the programme of evaluation of Text-Books from the stand point of National Integration and the job was entrusted to States. Accordingly, this work of scrutiny of school text-books in the subjects of languages and History was got done through State Council of Educational Research and Training Haryana at Gurgaon, on the basis of the guidelines, directions, and tools prepared by the N.C.E.R.T. New Delhi In all 65 books were evaluated by the subject experts with the help of experts from the NCERT. The reviewers suggested many changes in the text to be made for the purpose.

Apart from this the students and the teachers participated in National Integration camps organised by the NCERT.

This subject forms an important part of the various orientation camps organised by S.C E.R T. wherein steps to promote National Integration among the children are discussed and measures are suggested to inculcate the feeling of oneness among the futuer citizens of the country.

वर्ष 1981-82 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

छठी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में अतिरिक्त भर्ती, नए विद्यालय खोलने, वर्तमान संस्थाओं का दर्जा बढ़ाने, उपस्थिति आंकड़ों को उन्नत करने तथा गुणात्मक सुधार संबंधी कार्यक्रमों को जारी रखने और पाठ्यचर्या सुधार परियोजनाओं को आरम्भ करने संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया गया।

राजकीय स्कूलों में शिक्षा (6–11) वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए (1–5 श्रेणियों तक) निःशुल्क तथा अनिवार्य बनी रही तथा छठी से आठवीं तक श्रेणियों में भी शिक्षा निःशुल्क है। वर्ष के दौरान 110264 अतिरिक्त भर्ती से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 2006498 हो गई (पूर्व प्राथमिक में 1235, प्राथमिक स्कूलों में 608558, माध्यमिक स्कूलों में 311372, उच्च स्कूलों में 973973, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 111360) 53 नए प्राईमरी स्कूल खोले गए। 210 प्राईमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें मिडल स्कूल तथा 124 मिडल स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें उच्च स्तरीय बना दिया गया। इस प्रकार संस्थाओं की संख्या बढ़ाकर 7495 हो गई। प्री–प्राईमरी 27, प्राईमरी 4950, मिडल 947, उच्च 1474 तथा उच्चतर माध्यमिक 107।

विभिन्न आयु वर्ग के लड़कों के संबंध में भर्ती अनुपात 6–11 आयु वर्ग में 102·05 प्रतिशत, 11 से 14 आयुवर्ग में 70.71 प्रतिशत और 14 से 17 आयुवर्ग में 28.11 प्रतिशत था जबकि लड़कियों का यह अनुपात क्रमशः 67.40 प्रतिशत, 28 06 प्रतिशत तथा 9.56 प्रतिशत था। यह प्रतिशतता अनुसूचित जातियों के बच्चों के मामले में कुछ कम थी।

सर्वजन प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपाय गए किए जिसमें 1 से 2 श्रेणियों में बे-रोक नीति No Detention Policy से सामूहिक भर्ती करना, एकल अध्यापक वाले प्राईमरी स्कूलों को दो अध्यापकों वाले स्कूलों में बदलना तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अधीन अधिक स्कूलों को

लाना शामिल है। पहली से पांचवी श्रेणी में हरिजन लड़कियों को 55.87 लाख रुपये की लागत से मुफ्त वर्दियों तथा उपस्थिति छात्रवृत्तियां दी गई। इसके अतिरिक्त समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखने वाले बच्चों को लेखन सामग्री की खरीद के लिए 5 रु0 प्रति बच्चे के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। इस स्कीम पर 5.00 लाख रुपये खर्च किए गए। पुस्तक बैंक जो कि प्रत्येक सरकारी प्राईमरी/मिडल हाई/हायर सैकेण्डरी स्कूल में बने हुए है, जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य पुस्तकें मुफ्त देते हैं। वर्ष के दौरान इन पुस्तक बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए 20.50 लाख रुपये खर्च किए गए। लड़कों की तुलना में लड़कियों से कम फीस ली जाती है। 117 शिक्षा ब्लाकों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राईमरी स्कूलों में बच्चों को दोपहर के भोजन की व्यवस्था है। विभाग शिक्षा अवसरों को समान बनाने के विचार से छात्रवृत्तियों संबंधित अनेक कार्यक्रम लागू करता है। 8578 योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्तियां दी गई, जिन पर 12.18 लाख रुपये खर्च हुए।

सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणा के अधिवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और वस्त्र भत्ते दिए गए। इस पर विभाग के 17.86 लाख रुपये खर्च हुए। श्रेणी-9-11 में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वजीफे दिए गए और इस प्रयोजन के लिए 73.79 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। 9 से 11 तक की प्रत्येक श्रेणी में हरिजन लड़कियों को योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई। मिडल स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक ब्लाक में पांच योग्यता छात्रवृत्तियां देने पर 2.73 लाख रुपये का खर्च लाख रुपये खर्च हुआ।

शिक्षा सुविधाएं बढ़ाने के अतिरिक्त, शिक्षा के गुणात्मक पहलू की ओर भी ध्यान दिया गया। हमारा राज्य, अपने सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है जिनका आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। वर्ष के दौरान 2500 जे0बी0टी0 अध्यापकों, 461 मिडल स्कूल के अध्यक्षों तथा 245 हाई/हायर सैकेण्डरी स्कूल के अध्यक्षों को पुनर्राभिविन्यास पाठ्यक्रम दिए गए। स्कूल काम्पलैक्स और प्राथमिक अध्यापक (एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 द्वारा प्रकाशित

व्यवसायिक वृद्धि के लिए पत्राचार एवं संपर्क पाठ्यक्रम के तौर पर कार्य करती है। अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी जिनमें जन संपर्क माध्यम भी सम्मिलित है, समन्वित प्रयोग के माध्यम से शिक्षा के गुणात्मक सुधार तथा शिक्षा के लिए व्यापक पहुंच के लिए एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 में एक शैक्षिक प्राद्यगिक कक्ष खोला गया है।

हरिजन विद्यार्थियों (9-11 श्रेणियों) को 3 मास के लिए अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान के विषयों में विशेष शिक्षा दी जाती है। बच्चों में श्रम की महिमा जगाने के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादी कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। प्राथमिक स्कूलों के आकर्षण तथा धारक शक्ति को बढ़ाने के लिए 1000 प्राथमिक स्कूलों को खेल-कूद और मनोरंजन का सामान खरीदने के लिए 3.00 लाख रुपये की राशि दी गई थी।

औपचारिक शिक्षा के अनुपूरक के तौर पर राज्य में 3313 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे थे जिनसे 9-14 आयुवर्ग के 77568 ऐसे बच्चों को लाभ पहुंच रहा था जिन्होंने या तो बीच में शिक्षा छोड़ दी थी या शिक्षा शुरू नहीं की थी। इनमें से 23,343 बच्चे अनुसूचित जातियों के थे। वर्ष 1981-82 के दौरान इस कार्यक्रम पर 49.74 लाख रुपये खर्च किए गए।

3441 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाये जा रहे थे। जिनमें से 1894 केन्द्र केवल महिलाओं के लिए थे जिनमें इनसे लाभ उठाने वाली महिलाओं की संख्या 76329 थी। 34934 पुरुष 41395 महिलाएं जिनमें 20456 पुरुष तथा 10855 महिलाएं अनुसूचित जातियों के थे। इस कार्यक्रम पर 69.27 लाख रुपये खर्च किए गए। औद्योगिक कामगारों के लाभ के लिए फरीदाबाद में श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना की गई है।

राज्य में राष्ट्रीय लोक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी में जनसंख्या समस्याओं के प्रति पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न की जाए और वे इस संबंध में राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझ सकें। इस परियोजना के लिए एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 गुड़गांव में राज्य जनसंख्या शिक्षा कक्ष कार्य कर रहा है।

रेडक्रास संगठन रोगियों, विकलांगों, घायलों तथा निर्धनों की सहायता करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 1981–82 के दौरान सदस्यता संख्या (1502205) 1036804 लड़के और 465901 लड़कियों तक पहुंच गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित महिलाओं और बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए यह संगठन 21 दस्तकारी केन्द्र चला रहा है। जूनियर रेडक्रास निधि से निर्धन तथा जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त वर्दियां, फीसें तथा पुस्तकें आदि देकर उनकी सहायता की गई है। स्कूलों में भारत स्काउट तथा गाईड आन्दोलन से बच्चों में मैत्रीभाव, भाईचारे और मानवता के प्रति सेवा की भावना भरने के साथ–साथ नेतृत्व प्रशिक्षण भी देता है। इस संगठन में 34 कैम्प आयोजित किये जिनमें 2486 सदस्यों ने भाग लिया। वर्ष 1981–82 के दौरान इस संगठन को 2.32 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

सामान्यतया अध्यापक कल्याण और निर्धन अध्यापकों और उनके आश्रितों को राहतें देने के लिए अध्यापक कल्याण निधि में से 4.03 लाख रुपये खर्च किए गए।

साहित्य अकादमी लेखकों और भाषा साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य कर रही है। यह विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी पुस्तकें तैयार करने के लिए मार्गदर्शन तथा नीतियां भी निर्धारित करती है। वर्ष 1981–82 में श्री देशराज, शिक्षा मंत्री जी थे और श्रीमती शान्ति राठी, राज्य शिक्षा मंत्री थी। श्री एल0 सी0 गुप्ता आई0 ए0 एस0, श्री एस0 पी0 भाटिया आई0 ए0 एस0 और श्री एस0 पी0 मित्तल आई0 ए0 एस0 ने क्रमश: शिक्षा आयुक्त, संयुक्त शिक्षा सचिव तथा निदेशक, स्कूल शिक्षा के तौर पर कार्य किया।

राष्ट्रीय एकता

शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का माध्यम बनाने हेतु इस तरह विकसित करना पड़ेगा कि उत्पादकता में वृद्धि हो तथा समाज और देश में एकता हो। शिक्षा शास्त्रियों द्वारा उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विस्तृत कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय एकता कौंसल तथा अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली ने पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से मूल्यांकन का कार्यक्रम आयोजित किया तथा यह कार्य राज्यों को सौंपा गया। तदानुसार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हरियाणा गुड़गांव ने भाषा तथा इतिहास के विषयों का एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईड लाईन, निर्देशों तथा तैयार किए टूल्ज के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों की जांच का कार्य किया है। विषय विशेषज्ञों ने एन0सी0ई0आर0टी0 विशेषज्ञों की सहायता से कुल मिलाकर 65 पुस्तकों का मूल्यांकन किया। इस उद्देश्य के लिए पुनः अवलोकन कर्त्ताओं ने पाठ्य कार्यक्रम में कई परिवर्तन करने के सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता पर एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा आयोजित कैंपों में राज्य के विद्यार्थियों तथा आध्यापकों ने भाग लिया।

एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा आयोजित विभिन्न पुनर्स्थापना कोर्सों में यह महत्वपूर्ण विषय रहा है जहां बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए भावी नागरिकों में एकता की भावना को जागृत करने के लिए उठाए जाने वाले पग निर्धारित किए गए।

शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

1.1 वर्ष 1981 82 में शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री श्री बेसराज, राज्य शिक्षा मंत्री श्रीमती शांति राठी रही।

(क) सचिवालय स्तर पर

शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद पर श्री एल0सी गुप्ता तथा संयुक्त सचिव के पद पर श्री एस0पी0 भाटिया ने कार्य किया। ये दोनों अधिकारी आई0ए0एस0 काडर के हैं। अवर सचिव के पद पर श्री के0 जी0 वालिया ने कार्य किया।

(ख) निदेशक, विद्यालय शिक्षा के पद पर श्री एम0पी0 मित्तल, आई0ए0 एस0 ने कार्य किया। निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दिया :-

पदों का नाम	अधिकारियों की संख्या
निदेशक, एस0आर0सी0	1
संयुक्त निदेशक	2
उप-निदेशक	5
अध्यक्ष अनौपचारिक शि0	1
सहायक निदेशक	10
अनुसंधान अधिकारी	4
लेखा अधिकारी	1
बजट अधिकारी	1
युवक एवं खेल अधिकारी	1
तकनीकी सहायक	1

जिला प्रशासन

1.2 राज्य के प्रत्येक जिले में स्कूल शिक्षा के विकास, प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा का विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्य रूप देते हैं। जिले में शिक्षा के विकास कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी उप मण्डलों में उप मण्डल शिक्षा अधिकारी नियुक्ति हैं। उप मण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उप मण्डल में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं।

जिला स्तर पर एक-एक व्यवसाय परामर्शदाता की भी नियुक्ति की हुई है। यह अधिकारी विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को भिन्न–2 व्यवसायों के बारे में मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं ताकि स्कूल शिक्षा समाप्त करने के पश्चात विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकें। विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है।

इसी तरह राज्य के प्रत्येक जिले में प्रौढ़ शिक्षा के विकास, प्रशासन और नियंत्रण के लिए जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी नियुक्त है।

1.3 खण्ड स्तर पर

राज्य स्थित सभी 4738 प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासन सुविधा के लिए 119 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खण्ड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।

1.4 राजकीय विद्यालय

सभी राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है।

1.5 अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है । शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है । ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं । शिक्षा विभाग उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है । इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं ।

शिक्षा का व्यय

1.6 शिक्षा विभाग का वर्ष 1981-82 का बजट (संशोधित अनुमान अनुसार) इस प्रकार था :—

(क) प्रत्यक्ष व्यय

मद	योजनेत्तर	योजना	कुल राशि (लाखों में)
माध्यमिक शिक्षा	3036.16	269.73	3305.89
प्राथमिक शिक्षा	2607.06	332.40	2939.46
विशेष शिक्षा (स्पेशल)	24.90	43.95	68.85
विविध	123.89	41.44	165.33
जोड़	5792.01	687.52	6479.53

(ख) परोक्ष व्यय

1. निर्देशन	60.60	4.22	64.82
2. इन्स्पेक्शन	165.38	7.34	172.72
जोड़	225.98	11.56	237.54
जोड़ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष	6017.99	699.08	6717.07

वर्ष 1980-81 में शिक्षा पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष व्यय 5495.87 लाख रुपये था, जिस में से योजनेत्तर 5082.97 लाख रुपये तथा योजनागत 412.90 लाख रुपये था ।

अध्याय दूसरा

"प्राथमिक शिक्षा"

2.1 प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है। अतः इसे देश के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराने के लिए इसका विस्तार तथा विकास अत्यावश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में इसके विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस समय हरियाणा राज्य में प्राथमिक शिक्षा सुविधा, राज्य की शिक्षा नीति अनुसार 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गमन योग्य दूरी पर उपलब्ध है।

2.2 हरियाणा में वर्ष 1980–81 और 1981–82 में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों तथा प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या निम्न प्रकार थी :–

	1980–81		1981-82	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
पूर्व प्राथमिक पाठशालाओं/ बालवाड़ियां	27	––	27	––
प्राथमिक पाठशालाएं	4744	290	4706	234

वर्ष 1981–82 में 53 नये प्राथमिक स्कूल खोले गए तथा एक अराजकीय प्राथमिक पाठशाला को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया। वर्ष 1980-81 में कुल 5034 पाठशालाएं थीं जो वर्ष 1981-82 में घटकर 4940 हो गई। घटने का कारण यह है कि वर्ष 1981–82 में काफी स्कूलों का स्तर बढ़ाकर माध्यमिक कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 5384 थी तथा अब 4940 है। इस कमी का कारण यह भी है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद काफी संख्या में प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर माध्यमिक कर दिया गया।

2.3 छात्र संख्या

(क) कुल छात्र संख्या

	1980-81		1981–82	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
(1) स्कूल अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	684	505	690	545
प्राथमिक पाठशालाएं	387491	209352	387408	221090
(2) स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	1578	1182	1468	1384
प्राथमिक स्तर (पहली से पांचवीं)	822640	422847	852035	454940

(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या

	1980-81 लड़के	1980-81 लड़कियां	1981–82 लड़के	1981–82 लड़कियां
(1) स्कूल अनुसार				
पूर्व प्राथमिक पाठशालाएं/ बालवाड़ियां	62	36	211	147
प्राथमिक पाठशालाएं	75980	33476	81570	40646
स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	62	36	252	190
प्राथमिक स्तर(1–5वीं)	146172	55407	161483	69648

(ग) 6–11 आयुवर्ग के बच्चों में से स्कूल जाने वाले छात्रों की प्रतिशत निम्न प्रकार है :–

वर्ष	कुल छात्रों की प्रतिशत		अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशत	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
1980–81	99.08	54.69	92.66	37.72
1981–82	102.05	57.40	101.75	46.69

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 6-11 आयु वर्ग के स्कूल में आने वाले छात्रों की प्रतिशत 92.3 लड़के तथा 49.5 लड़कियां थी और अब यह प्रतिशत 102.05 लड़के तथा 57.40 लड़कियां हो गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशत पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 78.93 लड़के तथा 26.52 लड़कियां थीं जब कि अब यह प्रतिशत 101.75 लड़के और 46.69 लड़कियां हैं।

2.4 अध्यापकों की संख्या

	अध्यापकों की कुल संख्या			
	1980–81		1981–82	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
(क) स्कूल अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	2	34	1	33
प्राथमिक स्कूल	10493	4507	10093	4461
(ख) स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	4	75	10	62
प्राथमिक स्तर	19672	10522	19835	10991
अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या				
(1) स्कूल अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	2	5	—	—
प्राथमिक स्कूल	723	59	728	69
(2) स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	2	5	—	—
प्राथमिक स्तर	981	90	1060	98

5 बालवाड़ियों की स्थापना

हरियाणा में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों की संख्या 27 है। इन में से 7 प्राथमिक विद्यालय है। इसके अतिरिक्त राज्य में 20 बालवाड़ियां चल रही हैं

जो समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के 3 से 6 वर्ष के बच्चों की देखरेख एवं उनके लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करती हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केवल 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध थे।

2.6 इस समय हरियाणा में सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से आठवीं तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। 6–11 वर्ष तक की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में लाने के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अभियान चलाया जाता है। वर्ष 1981–82 में इसके प्रचार/प्रसार पर 1.39 लाख रुपये खर्च किए गए। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन/कमजोर वर्ग के बच्चों को लेखन सामग्री आदि के क्रय हेतु 5/- रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्ष 1981–82 में इसके लिए 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1981–82 में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 26233 छात्राओं को 30/– रु० प्रति छात्रा की दर से 7.87 लाख रुपये की राशि की मुफ्त वर्दियां प्रदान की गई तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 40000 हरिजन छात्राओं को 10/– रुपये प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से 40 लाख रुपये की उपस्थिति छात्रवृत्ति दी गई।

2.7 अन्य भौतिक सुविधाएं:

वर्ष 1981–82 में राज्य के 1000 प्राथमिक स्कूलों में 300/– रुपये प्रति प्राथमिक स्कूल की दर से 3.00 लाख रुपये की राशि खेलकूद तथा मनोरंजन की सामग्री जुटाने हेतु तथा इन प्राथमिक स्कूलों के खेलों के मैदानों के विकास के लिए प्रदान की गई।

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों के हैल्थ फण्ड से टाट और फर्नीचर खरीदने हेतु हिदायतें जारी की गई हैं।

2.8 शाला संगम

स्थापित किए गए शाला संगम केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्राथमिक अध्यापकों की व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए

कई प्रकार के कार्यक्रम अपनाए जाते हैं। इन मासिक बैठकों में अध्यापक कक्षा संबंधी अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपमण्डल शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी समय-समय पर भाग लेते हैं।

राज्य शिक्षा संस्थान के प्रकाशन विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिए पत्राचार कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाता है। यह पत्रिका राज्य के लगभग 30 हजार प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रतिमास संगम की बैठकों मे इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विमर्श करते है जिससे बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है।

2.9 कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

सामान्यतया ऐसा होता है कि एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं। अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा में अलग अलग सैक्शन बना लिये जाये तथा इनसैक्शनों को इस तरह से बनाया जाये कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्शन में तथा मन्द बुद्धि के बच्चें दूसरे सैक्शन में आ जाये और जिस शिक्षक के पास मंद बुद्धि वाले बच्चे हो उसके परिणाम को देखते हुए इस बात को ध्यान में रखा जाए कि वह कमजोर सैक्शन पढ़ा रहा था ।

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई गई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल न किया जाये तथा तीसरी तथा चौथी की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्य-वाही की जाये ।

2.10 स्कूल केयर फीडिंग प्रोग्राम

मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम हरियाणा में केयर की सहायता से 117 शिक्षा खण्डों में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित

प्राईमरी स्कूलों के छात्र/छात्राओं में मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। यह खाद्य सामग्री केयर की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है। प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दलिया तथा 7 ग्राम सलाद आयल दिया जाता है।

घरोण्डा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा एक लाख बच्चों के लिए प्रतिदिन पंजीरी तैयार कर के स्कूलों में बांटने के लिए भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1981 में दो नए गोदाम एक रिवाड़ी तथा दूसरा घरोण्डा में बनाया गया है।

वर्ष 1981-82 में इस प्रोग्राम पर 36.04 लाख रुपये खर्च किए गए जब कि वर्ष 1980-81 में 40.36 लाख रुपए खर्च हुए।

अध्याय तीसरा

माध्यमिक शिक्षा

3.1 आधुनिक युग में माध्यमिक शिक्षा का भी प्राथमिक शिक्षा से कम महत्व नहीं है। हरियाणा में माध्यमिक शिक्षा के विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

3.2 रिपोर्टाधीन अवधि में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी।

	1980-81		1981-82	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
माध्यमिक पाठशालायें	805	76	855	92
उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालायें	1249	224	1324	257

वर्ष 1981-82 में 210 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक किया गया तथा 124 स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उच्च किया गया। इसके अतिरिक्त एक अराजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा 4 अराजकीय उच्च विद्यालयों को भी राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया। 7 अराजकीय उच्च विद्यालयों को स्थाई मान्यता और 2 अराजकीय उच्च विद्यालयों को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है। पांचवी पंच वर्षीय योजना के अन्त में माध्यमिक पाठशालायें 801 तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालायें 1201 थीं। तथा अब माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या 947 तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या 1581 है।

3.3 छात्र संख्या

(क)	1980-81		1981.82	
कुल संख्या स्कूल अनुसार	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
माध्यमिक स्कूल	205067	90960	212297	99075
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	718831	270405	772423	312910

(2) स्तर अनुसार	1980-81		1981-82	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
माध्यमिक स्तर (छठी से आठवीं)	351514	125778	369503	129266
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (नौवीं से ग्यारहवीं)	135398	41443	149608	48028

(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या

	1980—81		1981—82	
(ख) स्कूल अनुसार	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
माध्यमिक स्कूल	32244	9434	34951	12586
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	99318	21712	110792	27166
(2) स्तर अनुसार				
माध्यमिक स्तर (छठी से आठवीं	45002	7261	47934	9073
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर (नौवीं से ग्यारहवीं)	16273	1813	17854	1644

(ग) विभिन्न आयुवर्ग में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है :-

	कुल छात्रों की संख्या प्रतिशत			
	1980-81		1981-82	
आयुवर्ग	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
11-14	65.17	26.32	70.71	20.06
14-17	26.57	9.38	28.14	9.56

(2) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या प्रतिशत

	1980-81		1981-82	
आयुवर्ग	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
11-14	43 91	8.00	47.87	10.11
14-17	16.81	2.16	18.31	1.94

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 11-14 आयुवर्ग के स्कूल जाने वाले छात्रों की प्रतिशत 63.1 लड़के तथा 23.8 लड़कियां थीं परन्तु अब 70 71 लड़के तथा 28.6 लड़कियां हैं। इस प्रकार 14-17 आयुवर्ग के छात्रों की प्रतिशत पांचवीं योजना के अन्त में 21.6 लड़के तथा 7.9 लड़कियां थीं और अब 28.14 लड़के तथा 9.56 लड़कियां हैं। अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशत संख्या पांचवीं योजना के अन्त में 38.18 लड़के तथा 5.32 लड़कियां, 11-14 आयु वर्ग की 10.56 लड़के और 1.01 लड़कियां, 14-17 वर्ग में थी। परन्तु अनुसूचित जातियों की यह प्रतिशत अब 11-14 आयुवर्ग में 47.87 लड़के और 10.11 लड़कियां तथा 14-17 आयुवर्ग में 18.31 लड़के और 1.94 लड़कियां हो गई हैं।

3.4 अध्यापकों की संख्या

(क) अध्यापकों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :-

	1980-81		1981-82	
(1) स्कूल अनुसार	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
माध्यमिक स्कूल	5882	2851	5747	2992
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	21889	9810	23363	10884
(2) स्तर अनुसार				
माध्यमिक स्तर	10642	4397	11075	4807
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	7905	2264	8237	2508

(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार है :-

	1980-81		1981-82	
(1) स्कूल अनुसार	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
माध्यमिक स्कूल	358	41	339	57
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	627	57	696	78
(2) स्तर अनुसार				
माध्यमिक स्तर	320	35	350	62
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	404	29	353	53

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में, माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 9946 पुरुष तथा 3687 महिलायें थीं तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 7542 पुरुष तथा 2395 महिलाएं थीं । परन्तु अब अध्यापकों की संख्या माध्यमिक स्तर पर 11075 पुरुष तथा 4807 महिलाएं हैं ।

3.5 अध्यापक अमले की स्वीकृति

वर्ष 1981-82 में जिन स्कूलों का स्तर बढ़ाया गया उनके लिए निम्न-लिखित अमला भी स्वीकृत किया गया :-

मुख्याध्यापक	124
मास्टरज मिस्ट्रेसिज	458
पी0टी0आई0	124
सी0 एण्ड वी0	210
जे0बी0टी0	124
लिपिकवर्ग	458

उपरोक्त के अतिरिक्त 50 पद होम साईंस मिस्ट्रेस के सृजित किए गए। वर्ष 1981-82 में मेवात क्षेत्र के लिए 100 पद ऊर्दू अध्यापकों के तथा 100 अतिरिक्त पद जे. बी. टी. अध्यापकों के स्वीकृत किए गये।

3.6 दोहरी पारी प्रणाली

भिन्न-2 विद्यालयों के जिन भवनों में छात्र संख्या की वृद्धि के कारण बच्चों के बैठने के स्थान और कमरों की कमी हो जाती है, उन विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली अपनाने की स्वीकृति देने में जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं सक्षम है।

3.7 सह शिक्षा की नीति

ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की गई है।

3.8 तेलगू भाषा की शिक्षा

हरियाणा में सातवीं कक्षा में तेलगु भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। इस भाषा की शिक्षा की सुविधा राज्य के 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। वर्ष 1981-82 में इस प्रयोजन हेतु 312 छात्रवृत्तियों के लिए 37,440/-रुपये की व्यवस्था की गई है।

3.9 शिक्षा पद्धति 10 जमा 2 जमा 3 को लागू करना।

इस प्रणाली को लागू करने हेतु मामला तत्परता से सरकार के विचाराधीन है। वर्ष 1081-82 में राज्य के सभी 12 जिल का व्यवसायिक सर्वेक्षण करवा दिया गया है तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट निरीक्षणाधीन है।

3.10 विशेष कोचिंग कक्षाएं

नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं मे पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष तीन मास के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों को कम्पीट कर सकें। वर्ष 1981-82 में इस स्कीमाधीन 1 लाख 55 हजार (1.55 लाख) रुपये की व्यवस्था रही है। अध्यापकों को पारिश्रमिक 150 रुपये से 200 रुपये तक मासिक दर से दिया जाता है। ये कक्षाएं आरम्भ करने लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 10 या इससे अधिक छात्र संख्या निर्धारित है।

3.11 परीक्षा परिणाम

आठवीं, दसवीं तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं मे पढ़ रहे छात्रों की परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की हुई है। वर्ष 1981-82 में आठवीं कक्षा में 144714 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, जिनमें से 52.69 प्रतिशत पास घोषित हुए तथा 19542 विद्यार्थी प्राईवेट आधार पर परीक्षा में बैठे, जिनमें से 41.29 प्रतिशत विद्यार्थी पास घोषित हुए।

दसवीं कक्षा की परीक्षा में 82938 विद्यार्थी नियमित तौर पर बैठे, जिनमें से 67.57 विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए तथा 19397 विद्यार्थी प्राईवेट तौर पर परीक्षा में बैठे और 3.60 प्रतिशत विद्यार्थी 'उत्तीर्ण' घोषित हुए। उच्चतर माध्यमिक कक्षा का परिणाम 37.91 प्रतिशत रहा है।

3.12 अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

पूर्व वर्षों की भांति 1981-82 में भी अराजकीय विद्यालयों को निम्न

निश्चित अनुदान दिया गया :–

	1980–81	1981–82
	(रुपये लाखों में)	
(1) प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय	24.17	24.08
(2) उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	57.97	60.16
(3) स्थानीय विकास कैंट बोर्ड अम्बाला	0.20	0.20
(4) संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान	0.77	1.16
(5) हरियाणा साकेत कौंसिल, चण्डी मन्दिर	0.68	0.68
(6) हरियाणा वैलफेयर सोसायटी फार डैफ एण्ड डम्ब, चण्डीगढ़, गुड़गांव केन्द्र के लिए	0.90	0.90
(7) हरियाणा स्टेट कौंसिल फार चाईल्ड वैलफेयर, चण्डीगढ़	–	1.44

उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त 10 अराजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उपकरणों के खरीदन के लिए 500/– रुपये प्रति स्कूल की दर से 5000/- रुपये की राशि का उपकरण अनुदान भी दिया गया।

वर्ष 1981-82 में विभिन्न प्रकार की 19 शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को भी 83000 रुपये की सामुदायिक राशि विशेष अनुदान के रूप में दी गई।

राज्य में अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को घाटे की 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी गई। इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय विद्यालयों को कोठारी ग्रान्ट स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 59.27 लाख रुपये तथा 1981-82 में 62.62 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

अध्याय चौथा

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

4.1 हरियाणा राज्य में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम 2 अक्तूबर 1978 में बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया। इससे पहले भी प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज शिक्षा का कार्यक्रम राज्य के कुछ जिलों में चलाया जा रहा था, जिनमें प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 998 थी। परन्तु रिपोर्टाधीन वर्ष में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :–

वर्ष	पुरुष	महिला	जोड़
1980-81	1483	1911	3394
1981-82	1547	1894	3441

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 1685 थी परन्तु अब 3441 है।

4.2 साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या

(क) रिपोर्टाधीन वर्ष में लाभान्वित प्रौढ़ों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	पुरुष	महिला	जोड़
1980-81	35364	40811	76175
1981-82	34934	41395	76329

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों के लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या

	1980-81		1981-82	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या	33976	34570	33782	350 5

2. अनुसूचित जातियों के लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या	9075	8257	9571	10885

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त में (अर्थात वर्ष 1978-79) लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या 57637 थी परन्तु अब 76329 है।

4.3 वित्त व्यवस्था

वर्ष 1981-82 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये व्यय (प्रोविजनल) निम्न प्रकार है –

	1980-81	1981-82
1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	41.78 लाख रुपये	43.59 लाख रुपये
2. राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	21.23 लाख रुपये	24.68 लाख रुपये
जोड़	63.01 लाख रुपये	68.27 लाख रुपये

4.4 शिक्षार्थियों की परीक्षा

वर्ष 1981-82 में 76175 प्रौढ़ों को दाखिल किया गया, जिनकी पढ़ने लिखने, संख्यात्मक तथा कार्यात्मक में साधारण परीक्षा ली गई, जिसमें 32315 प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुये।

4.5 जिला शिक्षा बोर्ड

जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिये उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बनाये गये। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा के के कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाने तथा विकसित करने के लिये जिला स्तर पर जिला संसाधन केन्द्रों का गठन भी किया गया है।

4.6 स्वैच्छिक संस्थाएं

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाओं का भी अपना स्थान है। सरकारी कार्यक्रम के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाएं जनता कल्याण समिति, रिवाड़ी

सामाजिक कार्य तथा अनुसंधान केन्द्र, खोरी (महेन्द्रगढ़) नेहरू युवक केन्द्र, गुड़गावां रोहतक, करनाल तथा भिवानी भी प्रौढ़ों को शिक्षा देने में कार्यरत है। वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में इन संस्थाओं में शिक्षा कार्यक्रम बन्द रहा क्योंकि इन संस्थाओं को इन अवधियों में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई।

4.7 संसाधन केन्द्रों की स्थापना

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित साहित्यिक सामग्री तैयार करने/उपलब्ध करने के लिये निदेशालय स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना की हुई है। इसी तरह जिला स्तर पर भी संसाधन केन्द्रों की स्थापना की हुई है।

4.8 श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद

वर्ष 1981-82 में हरियाणा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षा देना, औद्योगिक नगर में रहने, सहने का ज्ञान देना, कोई घरेलू धन्धा सीखने तथा उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार होने का ज्ञान देना है।

4.9 अनौपचारिक शिक्षा

हरियाणा में अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम वर्ष 1974-75 में प्रयोगात्मक उद्देश्य से आरम्भ किया गया था। आरम्भ में 11-13 तथा 14-17 आयु वर्ग के उन बच्चों को 5वीं तथा 8वीं की परीक्षा के लिये तैयार करना था, जिन्होंने मध्य में ही पढ़ना छोड़ दिया था। वर्ष 1977-78 में कुछ अल्प समय स्कूल भी आरम्भ किये गये ताकि उनमें वे बच्चे पढ़ सकें जो स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अक्तूबर 1978 से आरम्भ किया गया तो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को भी पुनर्गठन किया गया तथा 2500 प्राथमिक स्तर के और 120 माध्यमिक स्तर के केन्द्र स्वीकृत किये गये। रिपोर्टाधीन अवधि में क्रियाशील केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	प्राथमिक	माध्यमिक	प्राथमिक	माध्यमिक
1980-81	2708	55	366	[illegible]
1981-82	2946	23	338	6

वर्ष 1981-82 में ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक स्तर पर केन्द्र कम होने का कारण यह है कि कुछ केन्द्र ठीक नहीं चल रहे थे। अतः उनका दर्जा माध्यमिक से घटाकर प्राथमिक दर कर दिया था। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 2368 थी परन्तु अब यह संख्या 3313 है।

4.10 रिपोर्टाधीन अवधि में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से लाभान्वित छात्रों की संख्या निम्न प्रकार से रही :-

	1980-81		1981-82	
प्राथमिक स्तर	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
कुल छात्र संख्या	33489	39272	36515	40594
ग्रामीण क्षेत्र संख्या	29545	35708	29774	33186
अनुसूचित जाति की छात्र संख्या	9714	9422	10232	13035
माध्यमिक स्तर				
कुल छात्र संख्या	615	344	289	170
ग्रामीण क्षेत्र की संख्या	572	279	280	87
अनुसूचित जाति की छात्र संख्या	131	31	55	21

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 49174 थी परन्तु अब 77568 है।

4.11 वित्त व्यवस्था

वर्ष 1981-82 में अनौपचारिक शिक्षा पर निम्न अनुसार व्यय (प्रोविजनल) किया गया :-

1. योजनेत्तर — 36.92 लाख रुपये
2. योजना — 12.82 लाख रुपये
3. जोड़ — 49.74 लाख रुपये

4.12 छात्रों को प्रोत्साहन

रिपोर्टाधीन अवधि में सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा कार्यानुभव के लिए सामग्री दी गई। इसके अतिरिक्त हरिजन छात्रों को मुफ्त वर्दियां दी गई।

4.13 मूल्यांकन

अनौपचारिक शिक्षा में दो तरह के छात्र होते हैं। (i) वे बच्चे जो बीच में ही स्कूल छोड देते हैं और (ii) वे बच्चे जो स्कूल जाते ही नहीं।

पहली प्रकार के बच्चों में कुछ बच्चे अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करके पुन: स्कूलों में दाखिल हो जाते हैं। कुछ पांचवीं कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं तथा उनका मूल्यांकन उप मण्डल शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। दूसरी प्रकार के बच्चे 3/4 वर्षों की अवधि का पाठयक्रम पूरा करके पांचवीं कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं। उन्हें उत्तीर्ण होने के लिए 25 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है। माध्यमिक केन्द्रों में, स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा की माध्यमिक परीक्षा में बैठने के लिए, बच्चों को तैयार किया जाता है।

4.14 प्रशासनिक व्यवस्था

मुख्यालय में अनौपचारिक शिक्षा के लिए एक पद अध्यक्ष अनौपचारिक शिक्षा का है। क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम की देखभाल जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी करते हैं।

4.15 अनौपचारिक शिक्षा के विषय में अनुभव

अनौपचारिक शिक्षा के विषय में सामान्यतया यह अनुभव किया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा केन्द्र बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं और सारे राज्य में विस्तृत करने की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उदेश्य को ध्यान में रखते हुए अनौपचारिक शिक्षा के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षक अमले की आवश्यकता है तथा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में समन्वय की आवश्यकता है।

अध्याय पांचवां

"महिला शिक्षा"

5.1 आधुनिक युग में स्त्री शिक्षा के महत्व को देखते हुए हरियाणा राज्य में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा ट्यूशन फीस कम ली जाती है। अराजकीय विद्यालयों में भी छठी से ग्यारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाली कन्याओं की फीस की दर लड़कों की अपेक्षा कम रखी जाती है।

(ख) नौवीं से ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रही हरिजन जाति/कमजोर वर्ग की छात्राओं को लेखन सामग्री एवं पुस्तक आदि के क्रय के लिए 20 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है। इस कार्य के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान 4 लाख रुपये की व्यवस्था रही है। इतनी ही राशि वर्ष 1980-81 में व्यय की गई।

(ग) प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 40000 हरिजन छात्राओं को 10/- रुपए प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से 40 लाख रुपये की उपस्थिति छात्रवृति दी गई। इतनी ही राशि वर्ष 1980-81 में व्यय की गई।

(घ) प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन छात्राओं को वर्दी मुफ्त दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए 30/ रुपये प्रति छात्रा की दर से 7.87 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इतनी ही राशि वर्ष 1980-81 में व्यय की गई।

(ङ) हरिजन कन्याओं को नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में क्रमश 40, 50 तथा 60 रुपये की दर से योग्यता छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है।

ये छात्रवृत्तियां आठवीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली कन्याओं को दी जाती है और इस स्कीम के अधीन 180 हरिजन कन्याएं लाभान्वित होती हैं। वर्ष 1980-81 में ये छात्रवृत्तियां क्रमश: 20, 25 तथा 30 रुपये की दर से दी जाती थीं तथा इन छात्रवृत्तियों की संख्या 150 थी।

(च) विधवाओं/पतियों से अलग रहने वाली/विवाह विच्छेद स्त्रियों के लिए जे0बी0टी0 एन0टी0सी0/नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। ऐसी महिलाओं को अधिकतम आयु में साधारण ढील दे दी जाती है। ये स्त्रियां 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं जबकि पुरुषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष है। उन मिलिटरी पुरुषों की पत्नियों या उनके आश्रितों की जो अयोग्य हो गये हों या लड़ते-2 मारे गये हों, प्रवेश के लिए अधिकतम आयु की सीमा 41 वर्ष है।

(छ) यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक स्कूल में एक महिला अध्यापिका नियुक्त की जाये ताकि अधिक से अधिक छात्राएं स्कूलों की ओर आकर्षित हों। यदि प्रशिक्षित अध्यापिका उपलब्ध न हो तो अप्रशिक्षित अध्यापिका नियुक्त की जाये तथा वेतन योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाये। इस तरह की अध्यापिकाएं अस्थाई होंगी।

5.2 महिला शिक्षा संस्थाओं की संख्या

संस्था का प्रकार	1980-81	1981-82
प्राथमिक विद्यालय	288	234
माध्यमिक विद्यालय	76	92
उच्च विद्यालय	224	235
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	20	22

पिछले कुछ वर्षों से कन्याओं के स्कूलों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि जिन स्थानों पर कन्याओं के

अलग स्कूल नहीं है वहां पर वे लड़कों के स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक स्कूल निम्नलिखित शर्तों पर ही खोले जा सकते हैं :—

1 यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की मांग हो।

2. यदि स्थानीय जनता स्कूल के भवन के लिये प्रबन्ध कर दे।

3. यदि 30 या 40 कन्याएं विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए उपलब्ध हों।

4 यदि एक मील के क्षेत्र में कन्याओं के लिए कोई और विद्यालय न हो।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक ब्रांच विद्यालय भी खोल सकते है यदि उस गाँव में लड़कियों की संख्या पर्याप्त हो और अतिरिक्त स्टाफ देने की आवश्यकता न हो।

5.3 विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या

वर्ष 1981-82 में विभिन्न स्तरो पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार रही है :—

शिक्षा का स्तर	1980-81		1981-82	
	कुल छात्राएं	अनु0 जाति की छात्राएं	कुल छात्राएं	अनु0 जाति की छात्राएं
प्राथमिक स्तर	422847	55407	454940	69648
माध्यमिक स्तर	125778	7261	124266	9073
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	41443	1813	48028	1644

अध्याय छठा

"शिक्षा सुधार कार्यक्रम"

6.1 शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिए तथा शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने के लिए विभाग द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि में कई प्रोग्राम चलाये गये ।

6.2 शैक्षिक तकनीकी अनुभाग

शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने, विद्यालय स्तर पर गतिरोध को कम करने, प्राथमिक स्कूल शिक्षा को अधिक प्रभावशाली तथा रोचक बनाने, अध्यापकों की शिक्षण विधियों को नई दिशा देने तथा सहायक शिक्षण प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वर्ष 1978-79 से राज्य में शैक्षिक तकनीकी अनुभाग की स्थापना की गई है ।

यह एक केन्द्र संचालित स्कीम है जिस पर खर्च की जा रही धन-राशि की शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है । इस पर वर्ष 1981-82 में 1.44 लाख रुपये खर्च हुए ।

6.3 कार्य अनुभव

कार्यानुभव शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है । यह विषय राज्य के सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाया जाता है । कार्य अनुभव जिसे अब समाज उपयोगी उत्पादक का कार्य कहा जाता है, को नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है । स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस विषय को सभी माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनिवार्य विषय बना दिया है तथा वर्ष 1981-82 में इस उद्देश्य हेतु 1.86 लाख रुपये की राशि ग्रान्ट के तौर पर दी गई है । इसके अतिरिक्त 200/- रुपये प्रति प्राइमरी स्कूल की दर से 1000 प्राईमरी स्कूलों के लिए वर्ष 1981-82 में 2.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई । वर्ष 1980-81 में इस कार्यक्रम पर 1.86 लाख रुपये माध्यमिक कक्षाओं के लिए तथा 3.00 लाख रुपये प्राईमरी स्कूलों में खर्च किये गये ।

6.4 शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध करना ।

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक तथा भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए विशेष पग उठाए गए ।

हरियाणा राज्य में अधिकतर स्कूलों के भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है । अत: शिक्षा विभाग ने स्कूलों के भवनों के लिये एक विशाल कार्यक्रम आरम्भ किया है। विभाग द्वारा बनाए गए नये भवन निधि नियम (बिल्डिंग फण्ड रूल्ज) के अनुसार राजकीय स्कूलों में फण्ड के अन्तर्गत एकत्रित की गई राशि का 80 प्रतिशत विभाग के मुद्रा कोष (मनीपूल) में जमा करवाना पड़ता है । सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन स्कूलों के भवन पूरी तरह तैयार हैं उन्हें देखभाल के लिये लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाए।

रिपोर्टाधीन अवधि में राजकीय स्कूल भवनों की विशेष मुरम्मत हेतु नान–प्लान पक्ष से 270 अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई। इन पर कुल अनुमानित लागत 1 55 करोड़ रुपये आयेगी। इसके अतिरिक्त 117 अतिरिक्त कमरों की स्वीकृति भी दी गई । जिन पर 9.50 लाख रुपये खर्च होंगे ।

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूलों की देखभाल हेतु राज्य के 30 खण्ड एवं पंचायत अधिकारियों को 2.50 लाख रुपये की राशि 1400 प्राथमिक स्कूलों की मुरम्मत के लिये स्वीकृत की गई ।

प्लान पक्ष से वर्ष 1981-82 में राजकीय उच्च विद्यालयों में 47 अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु तथा राजकीय कन्या उच्च विद्यालय मोखरा (रोहतक) के भवन निर्माण हेतु 43.13 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई । प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में 82 अतिरिक्त कमरों के निर्माण हे 38.69 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई ।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No....4236....
Date....2-1-5-88.......

अध्याय-सातवां

"छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता"

7.1 सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से वजीफे एवं वित्तीय सहायता दी जाती है।

7.2 स्कूलों में छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां योजना

(क) राज्य सरकार की ओर से पांचवीं कक्षा स्तरीय योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के आधार पर माध्यमिक कक्षाओं में (छठी से आठवीं कक्षा तक) 10/- रुपये प्रतिमास की दर से वर्ष 1981-82 में 5542 योग्यता छात्रवृत्तियां देने के लिए 6.62 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। वर्ष 1980-81 में 2014 छात्रवृत्तियों के लिए 2.42 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

(ख) माध्यमिक परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृत्ति 15/- रुपये मासिक प्रति छात्रवृत्ति की दर से वर्ष 1981-82 में 3036 छात्रवृत्तियां देने के लिये 5.56 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। वर्ष 1980-81 में 1518 छात्रवृत्तियों के लिए 2.73 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी।

7.3 सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियां

देश के विभिन्न सैनिक स्कूलों तथा पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वर्ष 1981-82 में 514 हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियां

एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 17.86 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। वर्ष 1980–81 में 603 हरियाणवी छात्रों पर 23.31 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

7.4 तेलगू भाषा प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्तियां

हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है, जो छात्र तेलगू भाषा पढ़ता है उसे 10/– रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1981–82 में इस उद्देश्य के लिए 37,740 रुपये की व्यवस्था की गई।

7.5 राज्य हरिजन कल्याण योजना अधीन अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुविधाएं

अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षणिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं। नि:शुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस योजना के अधीन नौवीं/दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन विद्यार्थियों को 16/– रुपये मासिक दर से स्टाईपैण्ड प्रदान किये जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1981–82 में 73.39 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। वर्ष 1980–81 में इस स्कीम के अधीन 55.22 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

7.6 हरिजन छात्राओं के लिए योग्यता छात्रवृत्ति

नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं की हरिजन छात्राओं के लिए 180 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है। प्रति वर्ष 60 छात्रवृत्तियां प्रत्येक कक्षा में अर्थात नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं में क्रमश: 40/– रुपये, 50/– रुपये तथा 60/– रुपये प्रतिमास की दर से दी जाती है। वर्ष 1980–81 में इन छात्रवृत्तियों की संख्या 150 थी तथा छात्रवृत्ति दर क्रमश: 20/– रु0, 25/– रु0 तथा 30/– रुपये थी।

7.7 ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राज्य की ओर से 5 छात्रवृत्तियां प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले इन क्षेत्रों में से जो छात्र छात्रावास में रहते हैं उन्हें 100/- रुपये प्रतिमास, डे-स्कालरज (9 वीं तथा 10वीं) 30/- रु0 प्रतिमास तथा डे-स्कालरज (11 वीं तथा 12 वीं) 60/- रु0 प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 1981-82 में इस परियोजना के लिए 2.73 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। इतनी ही राशि वर्ष 1980-81 में खर्च की गई थी।

7.8 टोकन प्राईज तथा मैरिट सार्टिफिकेट

ऐसे छात्र जो मिडल/उच्च विद्यालय योग्यता छात्रवृत्ति सूचि में आते हैं परन्तु उनके माता-पिता (अभिभावकों) की वार्षिक आय 10,000/- रुपये से अधिक होने के कारण वे योग्यता छात्रवृत्तियां के पात्र नहीं बनते, को 50/- रु0 टोकन प्राईज तथा मैरिट सार्टिफिकेट दिया जाता है। मिडल कक्षाओं में 100 तथा उच्च कक्षाओं में 70 टोकन प्राईज रखे गए हैं जिनके लिए कुल 8500/- रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी।

आठवाँ-अध्याय

विविध

8.1 अध्यापक प्रशिक्षण

शिक्षा स्तर अध्यापकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रति दिन कई प्रकार के नये अनुसंधान हो रहे हैं तथा अध्यापकों का इन से भलि भांति परिचित होना आवश्यक है। शिक्षकों को व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है :—

1. सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण।
2. सेवाकालीन प्रशिक्षण।

1. सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण

डिप्लोमा-ईन-एजुकेशन :— वर्ष 1981—82 में मेवात क्षेत्र के गांव फिरोजपुर नमक में उर्दू जानने वाले उम्मीदवारों के लिए शिक्षण प्रशिक्षणार्थ जे0बी0टी0 स्कूल खोला गया। इसमें एक यूनिट (40 सीटस) स्वीकृत किया गया।

2 सेवाकालीन प्रशिक्षण

शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रति दिन होने वाले सुधारों के ज्ञान के लिए अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण भी अति आवश्यक है। अतः वर्ष 1981—82 में विद्यालय के अध्यापकों तथा शिक्षा अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये गए। जिसमें 2500 जे0बी0टी0 अध्यापकों ने भाग लिया। 461 माध्यमिक विद्यालयों तथा 245 उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के मुखियों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ ऐजुकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली में 18 शिक्षा अधिकारियों/प्राचार्यों को 5 दिन की अवधि का प्रशिक्षण दिया गया।

जींद जिले के 30 अध्यापकों को पशुपालन विषय में एन0डी0आर0आई0 कृषि विज्ञान केन्द्र, करनाल में प्रशिक्षण दिया गया।

8.2 भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक

हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है । यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं । उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी शिक्षा का माध्यम है ।

विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है । यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है । तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी 52 विद्यालयों में उपलब्ध है । सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू, संस्कृत तथा तेलगू भाषाओं में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं ।

हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने की भी विशेष सुविधा उपलब्ध है । यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी हों और अल्पसंख्यक से सम्बन्ध रखते हों तो वे अपनी भाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विशेष भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं । ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार उनको इस विषय में शिक्षा देने हेतु सुविधा प्रदान करती है । 19 अराजकीय विद्यालयों में जिनमें हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी था, पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिए विशेष अनुमति दे रखी है ।

भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा प्रदान करने तथा सरकार को इस संबध में सलाह मशवरा देने हेतु एक उच्च स्तरीय अल्प भाषाई शिक्षा समिति का गठन भी किया हुआ है ।

8.3 छात्रों को पाठ्य पुस्तकें/अभ्यास पुस्तकें उपलब्ध कराना

वर्ष 1981-82 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु बुक-बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए 20.50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई । इसके अतिरिक्त 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थियों को सस्ते मूल्य की अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने हेतु

भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सस्ते मूल्य का कागज अनुमोदित लघु ईकाईयों को प्रदान किया जाता है ताकि वे अभ्यास पुस्तिकाएं तैयार करके शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकें।

8.4 खेलकूद

खेलकूद के विषय को राज्य शिक्षा संस्थाओं की शिक्षा पद्धति में उचित स्थान प्राप्त है। प्रायः मेलों पर व्यय शिक्षा संस्थाओं की मिश्रित निधि से किया जाता है। खेलों के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार तथा खेल विभाग भी अनुदान देता है। वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार ने 1,00,000 रुपए तथा खेल विभाग ने 5,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी। रिपोर्टाधीन अवधि में लघु राष्ट्रीय विद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जो 4-12-81 से 9-12-81 तक मद्रास में आयोजित हुई तथा राष्ट्रीय विद्यालय खेल शीतकालीन प्रतियोगिता जिसका आयोजन दिनांक 28-12-81 से 3-1-82 तक पूना (महाराष्ट्र) में हुआ, राज्य के छात्रों ने भाग लिया तथा निम्नानुसार पदक प्राप्त किए :—

पदक	मिनी राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1980-81	मिनी राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1981-82	राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 1980-81	राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 1981-82
स्वर्ण	2	8	4	5
रजत	2	15	5	4
कांस्य पदक	1	3	4	7

8.5 रैडक्रास

रैडक्रास संस्था समाज में रोगियों, अपंगों, घायलों और निर्धनों की सहायता में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को छात्रों में प्रिय बनाने के लिए राज्य में जिला स्तर पर जूनियर रैडक्रास संस्थाएं जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थापित की गई हैं। शिक्षा संस्थाओं के

रेडक्रास फण्ड से आवश्यकता ग्रस्त बच्चों को पुस्तकें तथा वर्दियां खरीदने और चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में एकत्रित रेडक्रास फण्ड की राशि में से कुछ प्रतिशत भाग साकेत में अंगहीन बच्चों तथा व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु हर वर्ष दिया जाता है।

इस संस्था द्वारा 1981-1982 में रक्त दान के 107 शिविर लगाए गए तथा 3764 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। यह संस्था आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों तथा बच्चों के लिए 21 क्राफ्ट केन्द्र चलाती है। यह केन्द्र रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी और अम्बाला में स्थापित हैं। गरीब बच्चों की वर्दी, ट्यूशन फीस, किताबें आदि पर जूनियर रेडक्रास निधि से 73.17 हजार रुपए खर्च किए गए। रिपोर्टाधीन अवधि में एक अन्तराज्यीय स्तर पर एक कैंप चण्डीगढ़ में तथा दो कैंप तारादेवी में लगाए गए। इन कैंपों में 193 जूनियरज ने तथा 81 सलाहकारों ने भाग लिया :-

सदस्य संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
1981-82	1036304	465901	1502205
1980-81	1049057	450032	1499089

8.6 भारत स्काऊटस एवं गाईडज

राज्य की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काऊटस एवं गाईडज आंदोलन छात्रों में भ्रातृ प्रेम तथा नेतृत्व की भावना और जनजाति की सेवा करने के भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाया जाता है। यह आन्दोलन हरियाणा भारत स्काऊटस तथा गाईडज/एसोशिएशन के संरक्षण में चल रहा है। वर्ष 1980-81 में राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को 2.32 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए गए।

स्काउटस एवं गाईडज एसोशिएशन द्वारा लगाए गए विभिन्न कैम्प तथा रैलियाँ

	शिविरों की संख्या		भाग लेने वालों की संख्या	
	1980-81	1981-82	1980-81	1981-82
राज्य स्तर पर गतिविधियां				
1. कैम्प	1	14	1957	154

1	2	3	4	5
राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों के कैम्प	6	16	300	154
गाईडज कैम्प	10	3	1804	441
गर्ल्ज गाईडज रैली	1	1	115	350

8.7 भाषा अनुभाग

शिक्षा विभाग में एक भाषा अनुभाग स्थापित है । यह अनुभाग हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों आदि से प्राप्त प्रशासनिक सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का कार्य करता है । जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण, वित्तमंत्री का भाषण, बजट, विभिन्न विभागों आदि के मैनुअल संहितायें, शासन, प्रशासनिक रिपोर्ट तथा प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य सम्मिलित है । वर्ष 1981-82 के दौरान 2650 मानक पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य तथा इस अनुवाद का टाईपकृत प्रतियों में मिलान एवं अन्तिम वाचन संबंधी कार्य किया गया ।। राज्य भाषा हिन्दी के प्रचलन में पुस्तक "प्रशासनिक शब्दावली" का संशोधित संस्करण तैयार करने की दृष्टि से बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित राज्य की पारिभाषिक शब्दावली के प्रथम 500 शब्दों पर आधारित विभिन्न हिन्दी भाषी राज्यों में प्रचलित शब्दों का एक तुलनात्मक पत्र तैयार किया गया । जिससे बाद में सभी हिन्दी भाषी राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा अन्तिम रूप दिया गया ।

राज्य के विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों आदि से लगभग 5000 पृष्ठों की सामग्री एकत्रित की गई जिसका हिन्दी अनुवाद किया जाना अपेक्षित है ।

8.8 जनसंख्या शिक्षा

जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए शिक्षा विभाग में जनसंख्या शिक्षा भाग खोला हुआ है । वर्ष 1981-82 में राज्य में जनसंख्या शिक्षा को बढ़ावा

देने के लिए प्रत्येक श्रेणी के पाठ्यक्रम में जनसंख्या संबंधी अध्यायों को जोड़ा गया है । इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत समय-2 पर सर्कल जनसंख्या शिक्षा अधिकारियों द्वारा संगोष्ठियां बुलाई जाती हैं जिनमें अध्यापकों को नवीनतम बातों से अवगत कराया जाता है ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो और बच्चों को तदानुसार समझाया जा सके ।

एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 गुड़गांव, हरियाणा द्वारा एक फोल्डर "जनसंख्या शिक्षा समकालीन आवश्यकता" (हिन्दी) बुकलेट "जनसंख्या शिक्षा संकलन" (हिन्दी) जनसंख्या बारे ज्ञान देने हेतु छापी गई हैं।

इसके अतिरिक्त समय-2 पर इस कार्य से संबंधित प्राध्यापकों को ट्रेनिंग भी दी जाती है ।

8.9 राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

1-4-81 से 31-3-82 तक 4,47,928 रुपये की राशि एकत्रित की गई और विपदाग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को इस फण्ड में से 3.63 लाख रुपये की राशि सहायता के रूप में दी गई, जिसका ब्योरा इस प्रकार है :-

1. दाह संस्कार तथा नियमित सहायता 3,02,471/- रुपये
2. 21 लड़कियों को शादी पर सहायता 48,000/- रुपये ।
3. एक अध्यापक की लंबी बीमारी पर सहायता 400/- रुपये
4. 9 स्वर्गवासी अध्यापकों की विधवाओं को 4,833/- रुपये की सिलाई की मशीनें खरीद कर दी गई ।
5. 4 शिक्षकों को बी0 एड0 कोर्स के लिए सहायता 2000/- रुपये ।
6. अध्यापकों के 59 बच्चों को मैट्रिक पश्चात् भिन्न-2 शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेने पर मैरिट अनुसार 35,300/- रुपये की छात्रवृत्तियां दी गई ।
7. वर्ष 1981-82 में राज्य के 10 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित

किया गया है । प्रत्येक विजेता को 5,000/- रुपये नकद, एक रजत पदक तथा एक सार्टिफिकेट से अलंकृत किया गया । इन्हें पांच वर्ष के लिए दो अग्रिम वृद्धियां तथा दो मास की सेवा एक्सटेंशन भी दी जाती है ।

8.10 हरियाणा साहित्य अकादमी

राज्य सरकार द्वारा एक हरियाणा साहित्य अकादमी का भी गठन किया हुआ है । यह संस्था (1) राज्य में साहित्यिक स्तर को उन्नत करती है, सभी भाषाओं की साहित्यिक गतिविधियां को प्रोत्साहित एवं समन्वित करती है तथा हरियाणा की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्पराओं में अनुसंधान को बढ़ावा देती है तथा (2) हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिए मार्गदर्शन और नीति निर्धारित करती है । विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अकादमी को दो भागों में बांटा गया है । (क) साहित्यिक विकास प्रभाग तथा (ख) ग्रंथ अकादमी प्रभाग ।

(क) साहित्यिक विकास प्रभाग

रिपोर्टाधीन अवधि में हिन्दी, पंजाबी तथा उर्दू कविता, कहानी तथा एकांकी के सात संकलन प्रकाशित किये गए । हरियाणा की कला, संस्कृति, इतिहास, और लोक साहित्य पर तीन पुस्तकें प्रकाशित की गई जिनके नाम हैं (1) व्यक्तित्व और कृतित्व (2) व्यक्तित्व और कृतित्व तथा (3) हरियाणा का इतिहास । अकादमी द्वारा साहित्यिक उत्सवों के आयोजनार्थ साहित्यिक संस्थाओं को 1,10,000/- रुपए की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई । हिन्दी पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के लेखकों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए तथा उनके परस्पर विचार विमर्शार्थ अकादमी ने चार लेखक गोष्ठियों का आयोजन किया । राज्य के हिन्दी, पंजाबी तथा संस्कृत लेखकों को उनकी अप्रकाशित पुस्तकों को प्रकाशित करवाने के लिए प्रति पाण्डुलिपि 2,000/- रुपये या प्रकाशन व्यय का 50 प्रतिशत जो भी कम हो सहायता अनुदान दिया जाता है । वर्ष 1981-82 में सहायता अनुदानार्थ प्राप्त 94 पाण्डुलिपियों का मूल्यांकन किया गया, 32 पाण्डुलिपियां स्वीकृत की गई तथा 31 पुस्तकें प्रकाशित की गई । अकादमी द्वारा हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू तथा हरियाणवी साहित्य के एक-एक साहित्यकार को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है । सम्मानित किए जाने वाले

प्रत्येक साहित्यकार को 2,000/- रुपये की राशि, उत्तरीय तथा सरस्वती की प्रतिमा भेंट की जाती है। अभावग्रस्त संस्कृत पंडितों को सहायतानुदान देने की केन्द्रचालित योजना के अधीन 3 संस्कृत पंडितों अथवा उनकी विधवाओं को 8,750/ रुपये की राशि वर्ष 1981–82 में सहायतानुदान के रूप में दी गई।

(ख) ग्रंथ अकादमी प्रभाग

वर्ष 1981–82 के दौरान ग्रंथ अकादमी प्रभाग ने मानविकी तथा विज्ञान के विभिन्न विषयों पर दो पुस्तकें प्रकाशित की, आठ पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के नये संस्करण भी प्रकाशित किए गए। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कुल 2,29,257.65 रुपये की ग्रास मूल्य की पुस्तकों की विक्री की गई।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No....4236.......
Date...22/5/88.........

18016—D.P.I.—H.G.P., Chd.